पत्रांक–5/पी०–103/2022– 43(5) स्वा० /स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक: 18/11/25

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राँची जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उषामातु, रातू के भवन निर्माण की योजना हेतु मूल प्रशासनिक स्वीकृत राशि से इतर हुए अतिरिक्त वृद्धि कुल 19,09,444/– (उन्नीस लाख नौ हजार चार सौ चौवालीस) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–64(6)ब दिनांक–27.05.2015 के क्रम में राँची जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उषामातु, रातू के भवन निर्माण की योजना हेतु मूल प्रशासनिक स्वीकृत राशि से इतर हुए अतिरिक्त वृद्धि कुल 19,09,444/–(उन्नीस लाख नौ हजार चार सौ चौवालीस) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–64(6)ब दिनांक–27.05.2015 द्वारा राँची जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालमाण्डु, रातू के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल राशि 2,36,12,700/–(दो करोड़ छत्तीस लाख बारह हजार सात सौ) रूपये की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कालांतर में विभागीय शुद्धि पत्रांक–229(6)ब दिनांक–15.03.2017 द्वारा मालमाण्डु के स्थान पर उषामातु के रूप में स्थल परिवर्तित किया गया है।

3. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–2353(नि) दिनांक–14.09.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त योजना हेतु कुल 2,40,36,632/–(दो करोड़ चालीस लाख छत्तीस हजार छः सौ बत्तीस) रूपये की लागत पर एकरारनामा किया गया। चयनित कार्यस्थल की अनुमोदित नक्शों के अनुरूप कार्य कराने के क्रम में एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि/कमी की आवश्यकता पड़ी है, जिसके फलस्वरूप योजना की लागत राशि में एकरारनामा की राशि से 14,85,512/–रूपये की वृद्धि हुई है। एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि/कमी के कारण लागत राशि में वृद्धि, निगम का Agency Charge इत्यादि जोड़ने पर योजना की कुल लागत राशि 2,73,67,090/– रूपये होता है। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–489(नि) दिनांक–20.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निगम के 13वीं निदेशक मंडल की बैठक में कार्यहित में उक्त योजना में लिए गए संचालन अनुदान (Agency Charge) की राशि को क्षांत (Waive) किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. इस प्रकार, योजना की प्रशासनिक स्वीकृत की राशि 2,36,12,700/–रूपये के विरूद्ध कुल 2,55,22,144/–रूपये की वास्तविक लागत प्रतिवेदित है, जिसकी विवरणी निम्नवत हैः–

क्र०सं०	विवरणी	राशि (रूपये में)
1.	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	2,36,12,700
2.	एकरारनामा की राशि	2,40,36,632
3.	विचलन की राशि	14,85,512
4.	**कुल लागत राशि**	**2,55,22,144**
5.	कुल आवंटित राशि	2,35,92,000
6.	योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृत राशि से वृद्धि की राशि	19,09,444
7.	वृद्धि प्रतिशत में	8.08%

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

(49)

5. निगम के प्रतिवेदनानुसार उक्त योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए 08.07.2022 को हस्तांतरित किया जा चुका है।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के अधिसूचना सं०–1269 दिनांक–21.09.2023 की कंडिका–4 के आलोक में उपरोक्त मामले में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

7. योजना हेतु अतिरिक्त व्यय राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

8. उक्त राशि का विकलन राज्य योजना अंतर्गत मुख्यशीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01–जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210–01–110–48–01–05–45) से चालू वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

9. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल, राँची होंगे, जो राशि का पुस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता–मुख्यशीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–120–अन्य निधियाँ में करेंगे।

10. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

11. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्त्व होगा।

12. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात् ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा।

13. पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–64(6)ब दिनांक–27.05.2015 एवं शुद्धि पत्रांक–229(6)ब दिनांक–15.03.2017 की सभी कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

14. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–5/पी०–103/2022–43(5)स्वा० राँची, दिनांकः 18/11/25

प्रतिलिपिः

1. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
2. उपायुक्त, राँची।
3. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. सिविल सर्जन, राँची।
5. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
6. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव